

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

विषय: जनपद आगरा एवं तहसील फतेहाबाद में शमशाबाद-राजाखेड़ा मार्ग (MDR-113) के कि.मी. चैनेज 26.332 पर मार्ग की बांयी पटरी के किनारे ग्राम एत्मादपुर-अजनेरा के खसरा सं०-203 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0744188 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग।

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)

*Recommended for
approval.*

5.5.2017


श्री प्रकाश कुमार
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, राखनऊ।